न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
132/2013	31.07.2013	13-5-2021

रामनिवास दत्तक पुत्र सांवलिया जाति रैगर निवासी ग्राम मोतीपुरा हाल वासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी

—वादी

बनाम

1. कजोडी पुत्री सांवलिया पत्नि मंजीराम, रैगर नि0 लिवाली तह0 बामनवास
2. पदमा उर्फ पन्या पुत्र कामड्या जाति रैगर निवासी मोतीपुरा हाल निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
3. चुन्या आयु 63 साल पुत्र कामड्या जाति रैगर निवासी मोतीपुरा हाल निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
4. सम्पत पुत्र गेन्दया जाति रैगर निवासी मोतीपुरा हाल निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
5. अमरसिंह पुत्र गेन्दया जाति रैगर निवासी मोतीपुरा हाल निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी
7. उपपंजीयक अधिकारी, तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बावत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री महेश अग्रवाल, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 3 रकवा 52 ऐयर, खसरा नम्बर 25 रकवा 97 ऐयर, खसरा नम्बर 79 रकवा 29 ऐयर कुल किता 3 रकवा 1.78 हैक्टर वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जो कि कजोडी पुत्री सांवलिया हिस्सा 1/4, पदमा उर्फ पन्या, गेन्दया व चुन्या पुत्रान कामड्या हिस्सा बराबर हिस्सा 3/4 के नाम खातेदारी दर्ज है। गेन्दया की मृत्यु करीब 10 साल पूर्व हो चुकी है जिसके वारिस संपत व अमरसिंह हैं । आराजी खसरा नम्बर 776 रकवा 95 ऐयर, खसरा नम्बर 783 रकवा 52 ऐयर, खसरा नम्बर 806 रकवा 1.10 हेक्टर कुल किता 3 रकवा 2.57 हेक्टर स्थित ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जो कि सांवलिया, पन्ना, गेन्दया, चुन्या पुत्रान कामड्या जाति रैगर के नाम खातेदारी दर्ज है व खसरा नम्बर 780 रकवा 0.01 हेक्टर, गैरमुमकिन चाह सांवलिया, पन्ना, गेन्दया, चुन्या पिसरान कामडया हिस्सा 1/3 खातेदारी दर्ज है। गेन्दया की मृत्यु अब से करीब 10 साल पूर्व हो चुकी है। इसके वारिश प्रतिवादी सम्पत व अमरसिंह है। सांवलिया पुत्र कामड्या जिसके की एक मात्र पुत्री कज़ोडी है जिसकी की शादी सांवलिया ने अपने जीवनकाल मे वर्ष 1970 में मंजीराम के साथ कर दी थी। इसके पश्चात् उसके कोई और औलाद नही थी इसलिये उसने अपनी पत्नि ग्यारसी देवी की सहमति से पन्या से उसके पुत्र रामनिवास को गोद लेने की इच्छा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स0मा0)

जताई तो पन्या ने अपनी पत्नि धापा की सहमति से वादी रामनिवास आयु करीब 14 वर्ष को अपने भाई सांवलिया को हिन्दू रीति रिवाज व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार पंच पटेलो के सामने व रिश्तेदारो के समक्ष अपने छोटे भाई के लडके रामनिवास को गोद ले लिया व पन्ना व उसकी औरत धापा ने समाज के पंच पटेलों के सहयोग से सांवलिया व उसकी पत्नि ग्यारसी देवी के गोद मे बिठा दिया व नारियल बतासे बंटवा दिये व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार उसने वादी को गोद ले लिया जिसका कि एक गोद नामा बकलमी ग्यारसीलाल से लिखवाकर दिनांक 28–8–1976 को व गांव के पंच पटेलो के हस्ताक्षर करा दिये तभी से वादी अपने पैतृक पिता के स्थान पर सांवलिया का दत्तक पुत्र हो गया तभी से वादी सांवलिया का बतौर पुत्र उसके साथ रहता चला आ रहा है तथा सांवलिया के साथ ही उसका नाम राशनकार्ड, वोटर लिस्ट, परिचय पत्र आदि मे नाम संलग्न है तथा सांवलिया व उसकी पत्नि ग्यारसी देवी ने ही वादी की शादी बतौर पुत्र की है। ग्यारसी देवी की मृत्यु सन् 1981 में हो गई। सांवलिया की पत्नि का अन्तिम संस्कार पुत्र बतौर व जो भी क्रियाकर्म होता है व गंगाजी पहुँचाने का कार्य वादी द्वारा ही बतौर पुत्र सम्पन्न कराया था तथा सांवलिया पुत्र कामडया की मृत्यु दिनांक 7–2–04 को हो चुकी है। जिसका कि अन्तिम संस्कार व क्रियाकर्म, ब्रहमभोज व गंगाजी पहुँचाने का कार्य बतौर पुत्र वादी ने ही सम्पूर्ण क्रियाकर्म सम्पन्न किये थे तथा सांवलिया की पगडी भी समाज के पंच पटेलो, सगे सम्बन्धी व रिश्तेदार द्वारा वादी को बंधवाई गई थी। उस समय वादी की बहिन व उसका जंवाई आदि मौजूद थे । उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम मोतीपुरा व अरनिया तहसील गंगापुर सिटी को प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 वादी व सांवलिया सन् 1976 से वादी को गोद लेने के बाद से शामिल में काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 की शादी 13–14 साल की उम्र में 1970 में मंजीराम के साथ सांवलिया ने कर दी थी तभी से वह अपने ससुराल लिवाली में रहती चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या । ने कभी काश्त नहीं की है। जबकि वादी सांवलिया व ग्यारसी देवी की मृत्यु के पश्चात् बतौर पुत्र काश्त करता चला आ रहा है तथा मौके पर उक्त आराजीयात अन्य सहखातेदारो के साथ काश्त करता चला आ रहा है। मौके पर जमीन का बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी नम्बर । ने अपने पति अन्य लोगो से मिलकर व साज करके अपने पिता के स्थान पर मोतीपुरा की खातेदारी की भूमि में सांवलिया के स्थान पर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करा लिया। जिसमें कजोडी पुत्री सांवलिया हिस्सा 1/4 दर्ज है। जबकि प्रतिवादी संख्या । ने उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम मोतीपुरा व अरनिया की काश्त की भूमि मे कभी काश्त नहीं की और ना ही कभी उसका कब्जा रहा है। सांवलिया ने अपने जीवनकाल मे दिनांक 28–8–1976 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वादी को गोद लिया था तभी से वादी सांवलिया का दत्तक पुत्र चला आ रहा है इसलिये वादी सांवलिया के हिस्से की भूमि स्थित

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)

ग्राम मोतीपुरा व ग्राम अरनिया की भूमि का 1/8 का बतौर दत्तक पुत्र मालिक व वारिस है। इसलिये राजस्व रिकार्ड मे सांवलिया के स्थान पर 1/8 का इन्द्राज वादी के हक मे तथा 1/8 का इन्द्राज प्रतिवादी नम्बर। के हक मे होना चाहिए। प्रतिवादी नम्बर । जिसका कि नाम बतौर खातेदार सांवलिया के स्थान पर कजोडी पुत्र सांवलिया 1/4 हिस्सा दर्ज हो जाने के पश्चात इस भूमि को अन्य व्यक्तियो को बेचने पर उतारू है। इस बात की जानकारी वादी को दिनांक 20–7–2013 को हुई कि प्रतिवादी उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर उक्त वर्णित भूमि को बेचने पर उतारू है। इस कारण वादी को यह दावा बावत घोषणा खातेदारी, इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है । प्रतिवादी नम्बर। ग्राम मोतीपुरा की उक्त आराजीयात जिसमें उसका हिस्सा 1/4 दर्ज है, अपने हिस्से को अन्य व्यक्ति को बेचने को उतारू है जबकि मौके पर प्रतिवादी का कभी कोई कब्जा नही रहा, मौके पर भूमि का अन्य सहखातेदारो के साथ बँटवारा नहीं हुआ है इसके बावजूद उक्त भूमि को अन्य को बेचने पर उतारू है। मौके पर प्रतिवादी नम्बर । का कब्जा भी नही है। इस भूमि की रजिस्ट्री अन्य व्यक्ति को कराने पर उतारू है। वह राजस्व रिकार्ड की गलती का नाजायज फायदा उठाना चाहती है तथा बतौर खातेदार ग्राम मोतीपुरा स्थित उक्त आराजी के हि० 1/4 को अन्य व्यक्तियो को रहन वय कर रजिस्ट्री कराना चाहती है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने दिनांक 20–7–2013 को वादी को यह स्पष्ट धमकी दी है कि वह मोतीपुरा में स्थित अपनी खातेदारी की भूमि व ग्राम अरनिया की अपने पिता के नाम दर्ज खातेदारी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करूंगी और विक्रय का पंजीयन करा दूंगी चाहे मौके पर मेरा कब्जा नही है । प्रतिवादी नम्बर । अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नही आवेगी जब तक कि उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं फरमा दिया जावेगा। अतः वाद–पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3 रकवा 52 ऐयर, 25 रकवा 97 ऐयर, खसरा नम्बर 79 रकवा 29 ऐयर, कुल किता 3 कुल रकवा 1.78 हेक्टर वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील गंगापुर सिटी का 1/8 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे तथा कजोडी पुत्र सांवलिया हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/8 हिस्सा दर्ज किया जावे । आराजी खसरा नम्बर 776 रकवा 95 ऐयर, 783 रकवा 52 ऐयर, खसरा नम्बर 806 रकवा 1.10 हेक्टर स्थित ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी में वादी को 1/8 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व सांवलिया के स्थान पर रामनिवास दत्तक पुत्र सांवलिया हिस्सा 1/8 व कजोडी पुत्र सांवलिया हिस्सा 1/8 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 780 रकवा 01 ऐयर, गैरमुमकिन चाह में भी सांवलिया के स्थान पर रामनिवास दत्तक पुत्र सांवलिया, कजोडी पुत्री सांवलिया खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे । प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

गंगापुर सिटी

फरमाया जावे कि वो आराजी हाल खसरा नम्बर 3 रकवा 52 ऐयर, खसरा नम्बर 25 रकवा 97 ऐयर, खसरा नम्बर 79 रकवा 29 ऐयर स्थित ग्राम मोतीपुरा मे दर्ज हि0 1/4 व आराजी खसरा नम्बर 776 रकवा 95 ऐयर, खसरा नम्बर 783 रकवा 52 ऐयर, खसरा नम्बर 806 रकवा 1.10 हेक्टर व खसरा नम्बर 780 रकवा 0.01 हेक्टर गैरमुमकिन चाह को किसी भी प्रकार से रहन वय या मुन्तकिल नहीं करे व किसी अन्य व्यक्ति के हक में पंजीयन नही करावे व वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वंय पैदा करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 को भी पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आराजीयात का पंजीयन किसी अन्य के हक मे नही करे एंव मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि सांवलिया पुत्र कामड्या की एक मात्र वारिस प्रतिवादीया संख्या 1 पुत्री कजोडी है । प्रतिवादीया संख्या 1 कजोडी की शादी सन् 1970 में मंजीराम के साथ हुई है। सांवलिया के मिन प्रतिवादी जवाबदार के अलावा अन्य कोई औलाद नही है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का किसी तरह का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना ही उक्त आराजीयात को वादी ने सांवलिया के साथ सांवलिया के वारिस की हैसियत से कभी काश्त ही किया है, बल्कि मिन जवाबदार अपने पिता को हमेशा वादग्रस्त आराजी काश्त मे सहयोग करती रही है तथा पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी के पिता के हिस्से पर मिन जवाबदार का ही एक मात्र कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का यह लिखना कि प्रतिवादी संख्या । ने उक्त वादग्रस्त आराजी को कभी काश्त नही किया, सरासर गलत है। सांवलिया की मिन जवाबदार प्रतिवादी संख्या । एक मात्र वारिस है जो हिन्दू विधि से शासित होने के कारण विधि सम्मत तरीके से विरासत का नामान्तरकरण मिन जवाबदार के हक मे खोला गया है। ग्राम मोतीपुरा व अरन्या की पिता के हिस्से की भूमि को मिन जवाबदार ही संभालती आ रही है। मिन जवाबदार द्वारा अपने पिता के हिस्से की भूमि कभी काश्त नहीं करना व मिन जवाबदार का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं होना वादी ने गलत अंकित किया है। मिन जवाबदार के पिता स्वर्गीय श्री सांवलिया के हिस्से की वादग्रस्त आराजीयात की मिन जवाबदार प्रतिवादी संख्या। हिन्दू विधि के अनुसार विधिक रूप से एक मात्र वारिस है तथा मिन जवाबदार अपनी उक्त पैत्रिक आराजी को अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने की अधिकारिणी है, जिसकी बावत किसी तरह का कोई एतराज करने का वादी को कोई अधिकार हासिल नहीं है। वादी को उक्त दावा प्रस्तुत करने का किसी तरह कोई अधिकार हासिल नही है, ना ही वादी इस मद मे वर्णित किसी तरह का कोई अनुतोष किसी भी तरह प्राप्त करने का ही अधिकारी है। दावा वादी मय खर्चा खारिज होने योग्य है। मिन जवाबदार प्रतिवादीया नम्बर । किसी गलती का कोई फायदा उठाना नही चाहती है, ना ही राजस्व रिकार्ड मे कोई

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

गलती ही हुई है। मिन जवाबदार ने दिनांक 20–7–2013 को किसी तरह की कोई धमकी नही दी। झूठा दावा प्रस्तुत करने की गरज से इस मद मे भी काल्पनिक बाते अंकित की गई है। मिन जवाबदार ऐसा कोई कार्य नहीं कर रही है जो बेजा हरकत की तारीफ मे आती हो। मिन जवाबदार को पाबन्द कराये जाने का कोई आधार वादी के पास नहीं है। दावा वादी मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। वादी सांवलिया का किसी तरह कोई गोद पुत्र नहीं है। वादी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर मिन जवाबदार के पिता सांवलिया के हिस्से की जमीन को हडपने की गरज से गलत दावा पेश किया है जो बदनीयति पूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त दावा वादी ने उक्त सांवलिया का अपने आपको गोद पुत्र बताते हुये सांवलिया के हिस्से की आराजी के राजस्व रिकार्ड में वहैसियत सांवलिया का वारिस अपना नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा है लेकिन वादी ने आज तक कभी भी सक्षम न्यायालय से अपने आपको उक्त सांवलिया का गोद पुत्र घोषित नहीं कराया है ऐसे मे बिना गोद पुत्र की घोषणा हुये वादी मौजूदा दावे के माध्यम से किसी तरह का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी उक्त दावे के माध्यम से परोक्ष्य रूप से अपने आपको उक्त सांवलिया का गोद पुत्र घोषित कराना चाहता है जबकि गोद पुत्र की घोषणा करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को ही है, ऐसे मे वादी का उक्त दावा पोषणीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी उक्त दावा तथाकथित फर्जी गोद नामा दिनांक 28–8–76 को आधार बनाकर लेकर आया है, जो कि एक फर्जी दस्तावेज है तथा अपर्याप्त स्टाम्प पर व अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है जो किसी तरह साक्ष्य में ग्राहय नहीं है, इसके अलावा गोदनामे जैसे दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, अनरजिस्टर्ड गोदनामे से किसी तरह के कोई अधिकार अर्जित नही होते है । इस कारण वादी का उक्त दावा पोषणीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है । जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादी की नियत खराब हो चुकी है वह मिन जवाबदार के पिता सांवलिया के हिस्से की वादग्रस्त आराजी को मिन जवाबदार से हडपना चाहता है, गोद नामे के आधार पर मिन जवाबदार प्रतिवादी संख्या । को अपने पिता के हिस्से की उक्त वादग्रस्त आराजी से वंचित करना चाहता है तथा उक्त दावे की आड़ मे मिन प्रतिवादी संख्या। जवाबदार के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा कर रहा हैं जिसका कि वादी को कोई अधिकार हासिल नहीं है। वादी ने प्रतिवादी संख्या को इस बावत दिनांक 7–8–2013 को धमकी भी दी है कि वह अब सांवलिया के हिस्से की उक्त वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी संख्या । को किसी तरह काश्त नही करने देगा। जबकि वादी को ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। वादी अपनी बेजा हरकतो से तब तक बाज नही आवेगा जब तक कि उसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं फरमा दिया जावेगा। इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को यह काउण्टर क्लेम भी पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (स०मा०)